**गढ़वाल क्षेत्र में पशुपालन और डेरी उद्योग के लिए विदेशी सहायता**

4910. **प्रो० राम बक्ष सिंह वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में पशुपालन और डेरी उद्योग के लिए जिलावार कितनी विदेशी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई ;

(ख) क्या वर्ष 1994–95 के लिए इन जिलों में पशुपालन और डेरी उद्योग के विकास हेतु विदेशी सहायता प्रदान की जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**तिलहनों के मूल्य में वृद्धि**

4911. **प्रो०राम बक्ष सिंह वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1994–95 के दौरान तिलहनों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार तिलहनों के मूल्यों में भारी वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों की तुलना में तिलहन की कीमतों में वर्ष 1994–95 के दौरान हुई वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

| वर्ष | थोक मूल्य सूचकांक (वार्षिक औसत) | | विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन (आधार–1981–82–100) | |
|---|---|---|---|---|
| | तिलहन | सभी जिन्स | तिलहन | सभी जिन्स |
| 1991 . . . | 227.8 | 201.4 | 25.5 | 13.6 |
| 1992 . . . | 238.4 | 224.7 | 4.6 | 11.5 |
| 1993 . . . | 222.7 | 242.1 | (-)6.5 | 7.7 |
| 1994 . . . | 250.9 | 267.4 | 12.6 | 10.4 |

स्रोत : 1. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय ।
2. उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ।

यह देखा जा सकता है कि तिलहनों की कीमतों में हुई वृद्धि, समग्र मुद्रास्फिति तथा सभी जिन्सों की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुरूप है । चूंकि 1993 के दौरान तिलहनों की कीमतों में काफी गिरावट आई थी, वर्ष 1994–95 के दौरान तिलहनों की कीमतों में हुई वृद्धि बहुत अधिक प्रतीत होती है ।

(ग) और (घ) तिलहनों और खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को 20% के रियायती सीमा-शुल्क पर 3 लाख मीटरी टन खाद्य तेल के आयात की अनुमति दी है । इसके अलावा, नारियल के तेल, आरबीडी पाम आयल, आरबीडी पाम स्टियरीन तथा पाम कर्नेल आयल को छोड़कर अधिकांश खाद्य तेलों के आयात को 30% प्रभार पर सामान्य खुले लाइसेन्स के तहत लाया गया है जिससे कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है ।